कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः– 4558/25 बजट (प्रतिकर भुगतान–रा0से0)/2017–18 दिनांकः– 22.01.2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय,
लोक निर्माण विभाग नई टिहरी।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक–5054 (पूँजीगत) सड़क/भवन एंव सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू–अर्जन तथा क्षति प्रतिकर भुगतान हेतु आवंटन।

सन्दर्भः (1) शासनादेश संख्या–210/III(2)/17–03 (बजट)/2017 दिनांक–07.04.2017
(2) शासनादेश संख्या–1587/III(2)/17–03 (बजट)/2017 दिनांक–18.07.2017
(3) अधीक्षण अभियन्ता, आठवॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी का पत्र संख्या 246/161(1) सी0–8/2017–18 दि0 18.01.2018

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेशों (क0सं0 1 एवं 2)द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक–5054 04337040024 (पूँजीगत) सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मद में शासनादेशवार कमशः ₹ 1000.00 लाख एवं ₹ 2000.00 लाख अर्थात कुल ₹ 3000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा अधीक्षण अभियन्ता आठवॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17.01.2018 (क0सं0 3) द्वारा निम्न वर्णित प्रकरण में भू–अर्जन, भूमि प्रतिकर भुगतान तथा क्षतिप्रतिकर भुगतान हेतु प्रदत्त संशोधित अनुमोदन एवं सूचित पुनरीक्षित मॉग के कम में वित्तीय वर्ष 2017–18 में निम्नविवरणानुसार अब ₹ 1.33 लाख (₹ एक लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि इंगित शर्तो के अन्तर्गत आबंटित की जाती हैं।

(धनराशि लाख ₹ में)

क. सं.	मार्ग का नाम	खण्ड का नाम	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदन		वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटन		
			पूर्व लागत	संशोधित लागत	पूर्व आवंटन	अब आवंटन	योग,
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पिपलोगी नामक स्थान पर 120 मीटर स्पान के पैदल सेतु के निर्माण से प्रभावित कास्तकारों की भूमि का प्रतिकर भुगतान। (विश्व बैंक खण्ड लो0नि0वि0 नई टिहरी से सम्बन्धित)	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	0.88	2.21	0.88	**1.33**	2.21
	योग,		**0.88**	**2.21**	**0.88**	**1.33**	**2.21**

<u>आबंटन की शर्ते</u> (1) उपरोक्तानुसार अब आवंटित धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रतिकर/मुआवजे/फसल/फलदार वृक्षों की क्षतिप्रतिकर का भुगतान जिलाधिकारी/उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सम्बन्धित कास्तकारों/पक्षों को नियमानुसार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आवंटित धनराशि का प्राविधान सम्बन्धित कार्यो/मार्गो के मूल आगणन में सम्मिलित नही था और न हीं उक्त प्रतिकर भुगतान हेतु किसी अन्य योजना/मद में सम्बन्धित प्रतिकर भुगतान के लिये वित्तीय उपलब्धता थी।

(3) आवंटित धनराशि का निर्धारित समयान्तर्गत अर्थात दिनांक 15.03.2018 से पूर्व भुगतान न किये जाने, धनराशि लैप्स किये जाने, डुप्लीकेट भुगतान, दरों से अधिक भुगतान तथा नियमविरूद्व किये गये भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

(4) उपर्युक्त वर्णित कार्य वर्तमान में किन्ही कारणों से अन्यत्र खण्ड में हस्तान्तरित हो गये हो अथवा इन कार्यो में प्रतिकर का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हो तो आवंटित धनराशि पूर्ण विवरण सहित एक सप्ताह के अन्तर्गत इस कार्यालय को तत्काल वापस कर दी जाय, ताकि यह धनराशि सम्बन्धित खण्ड अथवा अन्य प्रकरणों में आवंटित की जा सके।

(5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

(6) उक्त संदर्भित शासनादेशों में निहित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक 5054 सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य–04 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 00–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0–सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– वित्त नियत्रंक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. उत्तराखण्ड देहरादून। साख–सीमा जारी करने हेतु।
4– अधीक्षण अभियन्ता आठवॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग नई टिहरी।
5– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग नई टिहरी/नई टिहरी।
6– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, नियोजन वर्ग–III, कार्या. प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं संकलन की कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– आई.टी. सेल कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं विभागीय ऑनलाईन बेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)